"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013— आश्विन 5, शक 1935

भाग 2

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी 8/32/भा.अधि./2013-14/3970.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी 8/भा.अधि./2012-13/2171 रायपुर, दिनांक 01 07 2013 द्वारा श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर का पत्र क्रमांक ज्ञापन क्रमांक/4056/वित्त-1/2013 बिलासपुर, दिनांक 07-09-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, बिलासपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री एन. के. टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु भारमुक्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री एन. के. टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी 8/32/भा.अधि./2013-14/3992.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7574 दिनांक 17-02-2011 रायपुर द्वारा श्री टी. आर. धृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति, भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक/257/स्टेनो/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 20-08-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, भटगांव में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी बिलाईगढ़ का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री टी. आर. धृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी, बिलाईगढ़ को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.